न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 39/2024

1. लवन्या पुत्री अमित कुमार उम्र 4 वर्ष नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता उर्मिला पत्नी अमित कुमार जाति मेघवाल निवासी 24 ए तहसील व जिला अनूपगढ़।

––– प्रार्थीया

बनाम्

1. कृष्णा देवी पत्नी मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी 24 ए तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. उप पंजियक, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4.

––––अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

दिनांक : 12.11.2024

– :: निर्णय :: –

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि कृषि भूमि वाके चक 2 के (ए) तहसील अनूपगढ का खाता सं. 21 (10) का पत्थर सं. 218/57 मु.न. 21 के किला नं. 13/2 का 0.126, 14ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21/2 का 0.202, 22/2 का 0.202, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.203 कुल 2.909 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया की दादी है तथा प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र अमित कुमार की वैध व हकीकी सन्तान है चूकिं प्रार्थीया नाबालिग है तथा प्रार्थीया के हितार्थ यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की माता उर्मिला पत्नी अमित कुमार की और से पेश किया जा रहा है। वाद मित्र कुदरतीवली माता नाबालिगान की और से प्रार्थना पत्र पेश करने में समक्ष है व वाद मित्र का हित नाबालिग प्रार्थीया के हित के विरूद्ध नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में दर्ज कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 1 यानि प्रार्थीया की दादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र अमित कुमार की वैध व हकीकी सन्तान है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 सयुक्तं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि सयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है जो कि प्रार्थीया व संयुक्तं परिवार की पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है।जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि का सहदायी है उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया परिवार की आमदन का एक मात्र साधन है तथा जो प्रार्थीया के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है चूकिं प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 हिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

विधि, हिन्दू उत्तराधिकार से शासित होते है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीया का अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज विवादित कृषि भूमि में जन्म से ही जन्मसिद्ध अधिकार व अधिपत्य है। चूकिं प्रार्थीया नाबालिग है तथा प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में दर्ज विवादित कृषि भूमि पर वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 परिवार सहित काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जबकि प्रार्थीया विवादित भूमि का जन्म से ही अंशधारी है प्रार्थीया को अब यह ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थी सं. 1 परिवार के अन्य लोगो के उकसावे में आकर प्रार्थीया को विवादित भूमि से बेदखल कर प्रार्थीया को उसके पैतृक एवं सहदायिकी हक व अधिकार से पूर्णतः वंचित करना चाहते है। उक्त भूमि पर सयुक्तं रूप से प्रार्थीया का भी जन्म से ही सयुक्त रूप से अधिकार व अधिपत्य है व उक्त भूमि के अतिरिक्त प्रार्थीया के भरण पोषण व आजिवीका का अन्य कोई श्रोत नहीं है। लेकिन अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीया को उसके अधिकारो से पुर्णतः वंचित करने की नीयत से उक्त विवादित भूमि को खुर्द बुर्द व अन्यत्रं बैचान करने के प्रयासरत है व प्रार्थीया को उसका हिस्सा नंही देना चाहते है जिसके अप्रार्थी सं. 1 कतई विधिक अधिकारी नंही है। अप्रार्थी सं. 1 का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध है। प्रार्थीया को यह ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 1 उक्त विवादित कृषि भूमि का अन्य किसी को अन्यत्र हस्तांतरित रहन बैचान करने के प्रयासरत है और कुछ दलाल किस्म के व्यक्तियों को जमीन दिखाते फिर रहे है। जिसका ज्ञान होने पर अरसा 5 दिन पूर्व प्रार्थीया ने अपनी माता के साथ पंच पंचायत के माध्यम से अप्रार्थी सं. 1 को समझाया कि उक्त विवादित भूमि प्रार्थीया की पुश्तैनी/पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है जिसमें प्रार्थीया का अपने पिता अमित कुमार के अधिकार के तहत जन्मसिद्ध सयुंक्त रूप से हक अधिकार एवं अधिपत्य निहित है इसलिऐ वे विवादित भूमि मे से अप्रार्थी सं. 1 अपने नाम की उपरोक्त विवादित भूमि मे प्रार्थीया को उसके अंश अनुसार प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ऐसा करने से इन्कार हो गई और अप्रार्थी सं. 1 ऐलानिया कहा कि वे प्रार्थीया को कोई हिस्सा नही देगी बल्कि वे शिघ्र ही विवादित भूमि से प्रार्थीया को बेदखल कर विवादित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान व हस्तांतरित कर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द कर देगी। प्रार्थीया जो कि अप्रार्थी सं.1 के पुत्र अमित कुमार की वैध सन्तान है तथा अप्रार्थी सं. 1 का हकीकी पौत्री है तथा विवादित भूमि प्रार्थीया की पैतृक एवं सहदायिकी सम्पति है इसी स्थिति मे अप्रार्थी [illegible] के नाम की विवादित भूमि में प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है [illegible] प्रार्थी[illegible] के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है तथा उक्त विवादित [illegible] की आजिवीका का एक मात्र साधन है चूकिं विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 के पास संयुक्त अविभाजित परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें अप्रार्थी सं. 1 में प्रार्थीया का उसके जन्मसिद्ध अंश अनुसार हित निहित बनता है । अप्रार्थी सं. 1 विवादित भूमि में प्रार्थीया को उसके हक अधिकारो से वंचित करने के प्रयासरत है। जिस सम्बंध में अप्रार्थी सं. 1 ने धमकी भी दी है कि विवादित भूमि में प्रार्थीया को कोई हिस्सा नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़
सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

देगी बल्कि शीघ्र ही विवादित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान कर खुर्द बुर्द कर देगी उक्त भूमि के खुर्द बुर्द होने व अन्यत्र बैचान करने से प्रार्थीया के पास अपने भरण पोषण का अन्य कोई साधन नही रहेगा अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने नापाक ईरादे में कामयाब हो गई तो इससे प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की एवज मे नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में दर्ज विवादित कृषि भूमि वाके चक 2 के (ए) तहसील अनूपगढ का खाता सं. 21 (10) का पत्थर सं. 218/57 मु.न.21 के किला नं. 13/2 का 0.126, 14ता 20 प्रत्येक का 0.253, 21/2 का 0.202, 22/2 का 0.202, 23/2 का 0.202, 24/2 का 0.203, 25/2 का 0.203 कुल 2.909 हैक्टर अनकमाण्ड कृषि भूमि में बिना प्रार्थीया के अधिकारों की घोषणा करवाये किसी भी तरीके से अन्यंत्र हस्तान्तरित, रहन, बैय, दान करने से व प्रार्थीया के जन्मसिद्ध अधिकार व अधिपत्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा करने व करवाने से निषिद्ध रहे तथा रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया के वाद पत्र के कामयाब होने की कोई भी सम्भावना नहीं है, वाद पत्र प्रथम दृष्टया काबिल निरस्ती के है। विवादित कृषि भूमि अप्रार्थीया संख्या–1 कृष्णादेवी के नाम से खातेदारी दर्ज होना स्वीकार है जो उसकी स्वःअर्जित सम्पति है, पैतृक सम्पति नहीं है। प्रार्थीया उर्मिलादेवी अमित कुमार से झगडा करके अपने पीहर में रह रही है तथा लवन्या पुत्री अमित कुमार, अमित कुमार के साथ रह रही है तथा उर्मिलादेवी अमित कुमार से अलग अपने पीहर रावतसर में रह रही है। लवन्या पुत्री अमित कुमार, अमित कुमार के साथ रह रही है तथा अमित कुमार ही लवन्या का पालन पोषण कर रहा है। अप्रार्थीया संख्या–1 की उक्त 2 के(ए) की जमीन स्वःअर्जित कृषि भूमि है, पैतृक सम्पति नहीं है तथा अप्रार्थीया संख्या–1 अभी जीवित है। इस भूमि पर अप्रार्थीया संख्या–1 के अलावा किसी का अधिकार नहीं है। प्रार्थीया येन केन प्रक्रेरण उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीया संख्या–1 की स्वःअर्जित उक्त कृषि भू[illegible]क की 1/5 हिस्सा है जो अप्रार्थीया संख्या–1 की मृत्यु [illegible] अप्रार्थीया संख्या–1 अपने जीवनकाल में स्वंय अकेली ही उक्त कृषि [illegible] की मालिक व स्वामिनी है। अप्रार्थीया संख्या–1 को उक्त कृषि भूमि विरासत [illegible] है, इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा पत्रावली में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है तथा प्रार्थीया द्वारा न्यायालय को गुमराह कर पुश्तैनी जमीन बताकर न्यायालय को धोखा में रखकर स्थगन आदेश जारी करवा लिया गया है जो गलत व गैर कानूनी है। उक्त सम्पति

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

किसी भी प्रकार से पैतृक नही है एव ना ही किसी प्रकार का जन्म से कोई अधिकार ही है एव ना ही किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रार्थीया अपने पति से झगडा करके अपने पीहर रावतसर में रह रही है। अप्रार्थीया संख्या–1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि है, प्रार्थीया का अप्रार्थीया संख्या–1 की उक्त स्वःअर्जित कृषि भूमि मे किसी प्रकार का हक हकूक नहीं है। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि मनघडन्त व गलत तरीके से पैतृक भूमि बताकर वाद पत्र व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया द्वारा पैतृक सम्पति होने का कोई दस्तावेजात पत्रावली के साथ पेश नही किया गया है एवं गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर स्थगन आदेश अप्रार्थीया संख्या–1 की स्वंय अर्जित कृषि भूमि पर स्थगन आदेश ले लिया है जो प्रथम दृष्टया काबिले खारिजी के है जो खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार विवादित कृषि भूमि वर्तमान जमाबंदी रिकॉर्ड अनुसार कृष्णा देवी पत्नी मांगीराम खातेदार के नाम से दर्ज है, जो कृष्णा देवी के नाम से जरिये इंतकाल नं. 219 दिनांक 02.04.2024 किस्म बैचान से अमलदरामद हुई है। मौका पर कब्जा काश्त खातेदार स्वयं की है तथा जवाब के साथ नामान्तकरण सं. 219 की प्रमाणित प्रति पेश की।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीया के जवाब एवं स्टेट जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– यह कि प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि प्रार्थीया व अप्रार्थीया सं.–1 सयुक्तं हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि सयुक्तं हिन्दू खानदान की अविभाजित पैतृक सम्पति है जो कि प्रार्थीया के सयुक्तं परिवार की पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है।जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हित निहित है फलस्वरूप प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि का सहदायी है उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थीया परिवार की आमदन का एक मात्र साधन है तथा जो प्रार्थीया के संयुक्त अधिकार [illegible] है चूकिं प्रार्थीया एवं अप्रार्थी सं. 1 हिन्दू विधि, हिन्दू उत्तराधिकार से [illegible] है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थीया का अप्रार्थी सं. 1 [illegible] से दर्ज विवादित कृषि भूमि में जन्म से ही जन्मसिद्ध अधिकार व आधिपत्य है। इसलिये प्रार्थी के अधिकारों की सुरक्षा के लिये अप्रार्थीया को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थीया सं. 1 ने अभिकथन किया किया अप्रार्थीया संख्या–1 की उक्त विवादित भूमि खरीदशुदा स्वःअर्जित कृषि भूमि है, विवादित भूमि पैतृक सम्पति नहीं है तथा अप्रार्थीया संख्या–1 अभी जीवित है। इस भूमि पर अप्रार्थीया संख्या–1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

अलावा किसी का अधिकार नहीं है। अप्रार्थीया संख्या–1 अपने जीवनकाल में स्वंय अकेली ही उक्त कृषि भूमि की मालिक व स्वामिनी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार का तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता चूंकि विवादित भूमि अप्रार्थीया सं. 1 की खरीदशुदा स्व.अर्जित कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि प्रथम दृष्टया नामान्तकरण सं. 219 से होती है। विवादित कृषि भूमि की अप्रार्थी सं. 1 अकेली व पूर्ण स्वामिनी है और अप्रार्थी स. 1 अपनी स्व.अर्जित कृषि भूमि का निर्बाध उपयोग, उपभोग करने की विधिअनुसार हकदार है। अप्रार्थी स. 1 को अस्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद और निर्बन्धित करवाने के प्रार्थीया कतई अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

सुविधा का संतुलनः–जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थीया को ज्यादा असुविधा होगी एवं अप्रार्थीया कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वचित हो जायेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

अपूर्णीय क्षतिः–प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीया के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थीया अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रही है। अप्रार्थीया जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीया अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगी। जिससे अप्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के विरूद्ध तय किया जाता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक **12.11.2024** को मेरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.11.25 13:14:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश राव)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़